



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 10.04.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 72/2025 धारा 69/79/308(2)/352/351(2) बीएनएस व 66A आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.04.2025 को वादिया द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि तरुणपाल पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ढकोली थाना नहतौर जनपद बिजनौर व तरुणपाल के परिजनों द्वारा वादिया को बदनाम करने की नियत से वादिया के आपत्तिजनक फोटो वादिया के भाई के मोबाईल फोन पर भेज दिये तथा अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर



पर मु0अ0सं0 72/2025 धारा 352/351(2) बीएनएस व 66A आईटी एक्ट बनाम तरुणपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 69/79/308(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही –

दिनांक 09.04.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त तरुणपाल पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ढकोली थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

तरुणपाल पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ढकोली थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री उदयवीर सिंह, निरीक्षक अपराध थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2171 प्रवेन्द्र थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 4.म0कां0 1634 तनु सैनी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर